प्रेषक,

श्री जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष,
   नियन्त्रक प्राधिकारी,
   समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2003

विषय : *रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति के क्रियान्वयन हेतु कार्य–योजना के सम्बन्ध में ।*

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में तीव्र नगरीयकरण एवं जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है जिससे कुएं एवं बोर वैल्स, आदि सूख रहे हैं और नलकूपों की क्षमता में भी कमी आई है। ऐसी आंशका है कि भूजल स्तर के गिरने का यदि यही क्रम बना रहा तो आगामी कुछ वर्षो में भूमिगत जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे और मानव सभ्यता को भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा।

2. भूमिगत जल के गिरते स्तर के दृष्टिगत एवं जल की बढ़ती मॉग को जल संरक्षण एवं वर्तमान जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार लाकर पूर्ण किया जा सकता है। परन्तु दोनों माध्यमों को अपनाए जाने में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, अतः पेय जल की बढ़ती मॉग के दृष्टिगत जल संसाधन का संरक्षण एवं गिरते जल स्तर को रोकने के लिए, तालाब, पोखर, झील का सुदृढ़ीकरण एवं उचित रख–रखाव, जल का सदुपयोग एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपाय अपनाया जाना अनिवार्य हो गया है। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल के संचयन को लोकप्रिय बनाने की महती आवश्यकता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल एवं कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाए जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के स्तर से शासनदेश संख्या 1703/ ए/9–आ–1–29–विविध/98 (आ. ब.) दिनांक 12 अप्रैल, 2001 के अधीन विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए थे, परन्तु शासनादेश में निहित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अभी गम्भीर प्रयास नहीं किए गए हैं।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि भूगर्भ जल के गिर रहे स्तर के खतरे के दृष्टिगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लागू किया जाना अनिवार्य हो गया है। अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं नगर विकास विभाग के समन्वय से नगरीय क्षेत्रों के लिए एक कार्य–योजना बनाई गई है जिसका क्रियान्वयन इस वर्षा ऋतु में एक अभियान के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। कार्य–योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया एवं समय–सारिणी भी निर्धारित की गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड बाटर बोर्ड की गाईडलाइन्स पर आधारित सामग्री संकलित की गई है; जिसमें विभिन्न प्रकार के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के डिजाइन एवं वाटर हार्वेस्टिंग पोटेन्शियल के आंकलन की पद्धति दी गई है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीक के अनुसार

हो तथा वर्षा जल न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जाए ताकि भूगर्भ जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड /उत्तर प्रदेश गाउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा चिन्हित ऐसे क्षेत्र जो जलरोध (Water logging) की समस्या से ग्रस्त हैं, में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को न अपनाया जाए। सम्बन्धित प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से जल मग्न क्षेत्र का प्रमाणित मानचित्र प्राप्त कर उसे जनता की जानकारी हेतु भी प्रकाशित करें।

4. उपर्युक्त कार्य–योजना एवं अन्य विवरण तथा प्रगति के अनुश्रवण हेतु निर्धारित प्रपत्र (एम.पी. आर–22) की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य–योजना को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित करने हेतु निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह की प्रगति आख्या मासिक एम.पी.आर. के साथ नियमित रूप से आवास बन्धु को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा कार्य–योजना से सम्बन्धित कार्यक्रम को समन्वित, सयमबद्ध एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्रमशः आवास आयुक्त तथा सम्बन्धित उपाध्यक्ष का होगा।

5. इस हेतु नगर स्तरीय कार्यालयों "रेन वाटर हार्वेस्टिंग व जल सम्वर्द्धन सेल" का गठन किया जाए एवं किसी वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी बनाया जाए। स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें क्रियान्वयन हेतु नामित करना भी उचित होगा। यदि प्राधिकरण/आवास परिषद के कार्यालय स्तर पर एक डिवीजन नामित किया जा सके, जो उचित लागत पर योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन करा सके तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

6. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ हैकि भूजल संसाधनों के संरक्षण व सम्वर्द्धन के दृष्टिगत शासन द्वारा 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के नव निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में तत्काल प्रभाव से रूफ टॉप हार्वेस्टिंग अनिवार्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः शासनादेश संख्या 1703 ए/9–आ–1–29–विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 12 अप्रैल, 2001 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 को उक्त सीमा तक संशाधित समझा जाए।

7. कृपया रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य–योजना को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित करने हेतु उपर्युक्त निदेशों का गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जे. एस. मिश्र)

सचिव

संख्या : 3671 (1)/9–आ–1–17 विविध/03 (आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा० आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्थानीय निकायों, जल निगम, जल संस्थान तथा निदेशक, स्थानीय निकाय को कार्य–योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम लि.।

6. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, लखनऊ क्षेत्र।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. सदस्य/सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको।
10. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक :
1. कार्य–योजना (01 पृष्ठ)
2. कार्यवाही एवं समय–सारिणी (01 पृष्ठ)
3. प्रगति आख्या हेतु प्रपत्र (01 पृष्ठ)
4. वाटर हार्वेस्टिंग मैनुवल (35 पृष्ठ)

आज्ञा से,

(संजय भूसरेड्डी)

विशेष सचिव